

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1823

दिनांक - 12/05/2023

प्रार्थीगण
1 चन्दनसिंह 2
उकारसिंह 3 सूरतानसिंह
पिसरान नाथूसिंह 4
हरीसिंह 5 भैरूसिंह 6
राजूसिंह 7 नरपतसिंह
पिसरान मिश्रीसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी
बालेरा तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 नीम्बसिंह पुत्र राणसिंह 2 सम्पतसिंह पुत्र राजूसिंह 3
तुलछसिंह पुत्र पांचसिंह 4 पृथ्वीसिंह पुत्र राणा 5 हिन्दूसिंह पुत्र
नगसिंह 6 बलवन्तसिंह पुत्र वीरमसिंह 7 जितेन्द्र कुमार 8 दिनेश
पिसरान तुलछसिंह 9 मगीदेवी पत्नी तुलछसिंह 10 भाखरसिंह
पुत्र वीरमसिंह 11 नरसिंह 12 तुलछसिंह 13 भैरूसिंह पिसरान
खुशालसिंह 14 रूखमो पत्नी खुशालसिंह 15 श्यामसिंह पुत्र
तुलछसिंह 16 मांगसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 17 सुवटीदेवी पतनी
लक्ष्मणसिंह 18 जयसिंह पुत्र मोतीसिंह 19 उम्मेदसिंह 20
किशोरसिंह पुत्र वीरमसिंह 21 किशोरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 22
खुमाणसिंह 23 हिन्दूसिंह पिसरान वेदसिंह 24 कंवरा पत्नी
वेदनसिंह 25 गिरधारीसिंह 26 डामरसिंह 27 उम्मेदसिंह 28
कुम्पसिंह पिसरान सुरसिंह 29 कैलाशसिंह पुत्र वेदसिंह 30
आसूसिंह 31 मोडसिंह पिसरान जबसिंह 32 हरलालसिंह 35
मदनसिंह पिसरान रिडमल 36 लीलादेवी पत्नी लालसिंह 37
वीरा पुत्र राहीगा 38 सुरेश पुत्र लालसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर 39 तहसीलदार
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 59/2023

दिनांक- 12/05/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 528/22 रकबा 5.2771 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 12/05/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1824-1827

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चन्दनसिंह पुत्र नाथूसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नीम्बसिंह पुत्र राणसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर